ENVIRONMENTAL CLEARANCE		Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)To,To,The owner 		
	teractive, v <b>H</b> ub <b>)</b>	Subject: Grant of Environmental Clear under the provision of EIA No Sir/Madam, This is in reference to your in respect of project submitted SIA/MP/MIN/68494/2020 dated 07 De	This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number IA/MP/MIN/68494/2020 dated 07 Dec 2021. The particulars of the environmental	
PARIVESH	and Responsive Facilitation by Interactive, ous Environmental Single-Window Hub)	<ol> <li>clearance granted to the project are a</li> <li>EC Identification No.</li> <li>File No.</li> <li>Project Type</li> <li>Category</li> <li>Project/Activity including Schedule No.</li> <li>Name of Project</li> <li>Name of Company/Organization</li> <li>Location of Project</li> <li>TOR Date</li> </ol>	s below. EC22B001MP110639 7834/2020 New B1 1(a) Mining of minerals Nasipur Sand Quarry	
	(Pro-Active a and Virtuo	no 2 onwards. Date: 22/01/2022	(e-signed) Shriman Shukla Member Secretary SEIAA - (Madhya Pradesh)	
And the second sec		Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence. This is a computer generated cover page.		

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/68494/2020 - प्रकरण क्र. 7834 / 2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय महाकाल एसोसियेट, प्रो. श्री विजय गोस्वामी, निवासी – 25, धन्ना कॉलोनी, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड, जिला सिवनी (म.प्र.)–480661 द्वारा रेत खदान, एरिया 6.40 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 448, ग्राम नासीपुर, तहसील क्योलारी, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय—समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपन्न एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/68494/2020 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 28.09.2020) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय वनमण्डाधिकारी, वनमण्डल, जिला सिवनी के पत्र क्र. 1997 दिनांक 14.10.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 22°06'48.29" से 22°06'56.44" और देशांतर 79°59'17.13" से 79°59'29.21" पर भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 12.04.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम नासीपुर, तहसील केवलारी, जिला सिवनी में अपर कलेक्टर, सिवनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 699वीं बैठक दिनांक 29.12.2021 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 536वीं बैठक दिनांक 17.12.2021 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक जय महाकाल एसोसियेट, प्रो. श्री विजय गोस्वामी, निवासी – 25, धन्ना कॉलोनी, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड, जिला सिवनी (म.प्र.) –480661 द्वारा रेत खदान, एरिया 6.40 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 448, ग्राम नासीपुर, तहसील क्योलारी, जिला सिवनी (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

### अ. विशिष्ट शर्तेः

- कार्यालय खनिज साधन विभाग, भोपाल आदेश क्रं. 2548 / 132 / 2020 / 12 / 1 दिनांक 16.06.2020 के अनुसार उक्त खदान का दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- 4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
- 5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
- 6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर—खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
- 9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
- 10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
- 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- 14. परियोजना ,प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
- 15. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

- 16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मागों पर चेतावनी सकता का स्थापना की जायेगी।
- 17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 10000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, जामुन, कदम, चिरोल, खामेर, ईमली, आवला, मुनगा, सीताफल आदि का रोपण नदी किनारे, पहुंच मार्ग एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत विद्यालय, तालाब, नहर, आंगनबाडी, पंचायत भवन आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।
- 18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- 19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- 20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
- 21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :--
  - ग्राम नासीपुर के शासकीय हाई स्कूल में 70 सेट्स टेबल / कुर्सी एवं 10 सेट्स कम्प्यूटर व 02 प्रिन्टर मुहैया कराये जायें।
  - ग्राम नासीपुर के शासकीय हाई स्कूल में एक हैण्डपम्प स्थापित किया जाये एवं उसके चारो ओर दीवार व रीचार्ज पिट बनाई जावे।
  - पेंच टाईगर रिजर्व हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाये।
  - ग्राम नासीपुर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

- 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- 23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

## (अ) खनन के पूर्व चरण में

- 25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का खनन पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाएगा एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 के अनुसार किया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके की खनन पट्टे में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
- 26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टे का सीमांकन दिए गए कॉर्डिनेट्स के अनुसार स्पष्ट रूप से साइट पर पिल्लर लगाकर किया जाये।
- 27. प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यक सहमति म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाएगी और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रदर्शित करने हेतु स्थापित किया जाये।
- 28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंडरी हथालन) नियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण (यदि आवश्यक हो) प्राप्त किया किया जाये।
- 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग भी किया जाये।
- 30. यदि किसी पेड़ को काटा या उखाड़ा जाना प्रस्तावित है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाये।
- 31. धूल को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये।
- 32. परिवहन सड़क को पक्का (टार रोड) बनाया जाये। और इसे खदान के संचालन से पहले बनाया जाये।
- 33. परियोजना प्रस्तावक संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी/एनओसी प्राप्त की जाये।

## (ब) खनन के परिचालन चरण में

- 34. खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जाये।
- 35. खदान स्थल पर किसी मध्यवर्ती स्टैकिंग की अनुमति नहीं होगी ।
- 36. खदान में ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये ।
- 37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम को खनन कार्य के साथ—साथ किया जायेगा तथा पेड़ – पौधों का रखरखाव तीन साल तक कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट सहित किया जायेगा। प्रांरम में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से साइट की सीमा पर पहले एक साल में सघन वृक्षारोपण (तीन पंक्तियों में) कर विकसित किया जाये ।
- 38. परियोजना क्षेत्र की सीमा के चारों ओर वृक्षारोपण में बारहमासी, हरे रहने वाले, घने —छावदार, तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के कम से कम 2.5 फीट लंबे पौधों का उपयोग किया जाये। प्रस्तावित लैंडस्केप प्लान और पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार, कम से कम 6,000 पेड़ नदी के किनारे और ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्कूल के आवगमन की सड़क और परिवहन मार्ग के किनारे लगाए जाये।
- 39. रेत का परिवहन ढके हुए वाहनों में किया जाये ।

- 40. रेत का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जाये ।
- 41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल को कम करने के लिये ओवर हेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये एवं ट्रांसपोर्ट रोड पर धूल को कम करने के लिए टैंकर उपलब्ध कराए जाये ।
- 42. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए उपयुक्त और प्रस्तुत गतिविधियाँ की जाएंगी। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय पंचायत के समन्वय से कोई भी आवश्यकता के आधार पर और उचित गतिविधि की जा सकती है।
- 43. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित सावधानी बरती जाये ताकि खनन कार्यों के दौरान किसी भी वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।
- 44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाये।
- 45. खनन कार्यों के दौरान श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण व्यक्तिगत जैसे हेलमेट, ईयर मफ आदि प्रदान किया जाये।

# (स) परिजोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि में

- 46. प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजीगत लागत रु. 31.31 लाख रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में रु. 11.10 लाख प्रति वर्ष प्रस्तावित है।
- 47. कंपनी की पर्यावरण नीति को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा—निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और इसे निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से लागू किया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रण के लिए उपशमन उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना के बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग होने के कारणों को वार्षिक विवरणी में संबोधित किया जाये।
- 48. वित्तीय जवाबदेही के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतगत ली गयी गतिविधियों में किए गए सभी खर्चों के लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाये और ये विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में प्रदान किए जाये ।

### ब. मानक शर्ते

- पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- 2. माइनिंग लीज की बाउंड्री को उचित रूप से फेंसिंग के साथ चिन्हित किया जाएगा।
- 3. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
  - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
    - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)
    - परियोजना की उत्पादन क्षमता ।
- 4. नदी तल में भारी वाहनों का प्रवेष निषेध रहेगा।
- पट्टा क्षेत्र से लोडिंग स्थल तक रेत का परिवहन केवल ट्रैक्टर ट्रॉलियां के माध्यम से किया जायेगा एवं भारी वाहनों का प्रवेष निषेध रहेगा।

- 6. केवल आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज वाले GPS सहित पंजीकृत वाहन/ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए किया जाये।
- 7. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर द्वारा की जायेगी ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की इकोलॉजी प्रभावित न हो।
- 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां खनन कार्य किया जाता है वहां की नदी तल / बेसिन क्षेत्र में गौण खनिज के उत्खनन के कारण अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं मे किसी प्राकार का बदलाव तो नही हो रहा।
- यह सुनिष्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (turbidity), वेग और प्रवाह पैटर्न किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
- 10. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव—जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
- 11. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल . पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
- 12. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
- 13. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये तथा गॉव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
- 14. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
- 15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
- 16. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
- 17. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
- 18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें।
- 19. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
- 20. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की स्विधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
- 21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
- 22. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।

- 23. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे / गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
- 24. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।
- 25. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (Reduce level) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।
- 26. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड सिप्रंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के सिप्रंकलर की व्यवस्था की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
- 27. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं च्ह प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाये।
- 28. प्रमुख पुलों और राजमार्गो के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी एवं पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं Downstream से कम से कम 250 मीटर up-stream साइड से और 500 मीटर Down-stream साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जायें।
- 29. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला, नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जाये।
- 30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये।
- 31. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- 32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज से सटी नदी के किनारे, खनिज निकासी मार्ग तथा गाँव के सामान्य क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा एवं कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट सहित पांच साल तक रखरखाव करेगा। परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण और कैजुअल्टी रिप्लेसमेंट के वार्षिक विवरण की जानकारी एक लॉग बुक में रखेगा। साथ ही पर्याप्त सावधानी बरती जाये जिससे खनन कार्यों के दौरान वनस्पतियों और जीवों को कोई नुकसान न हो।

- 33. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वाख्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
- 34. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खदान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधियों का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
- 35. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
- 36. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22–34/2018–आईए III दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चरागाह भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बनाये जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।
- 37. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z-11013/57/2014–IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक ''आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं'' में दिए गए Mitigative उपायों का पालन करेगा।
- 38. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
  - i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नही होगी।
  - ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
  - iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
  - iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
  - v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
  - vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी ।
  - vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव • हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों / मार्गों को समतल किया जाये।

- viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और 'पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए।
- ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।
- 39. नदी के किनारों पर स्थिर करने के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ. / ग्राम पंचायत / कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम / वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।

40. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत / मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये ।

41. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास / चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाये।

42. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरूआत से पहले, आस—पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाऐं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं ईस प्रकार विकसित किया जाये कि उनकी जीवित दर (survival) 80 प्रतिशत तक हो।

> (श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव

### प्रतिलिपिः-

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
- 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016।
- 4. कलेक्टर, जिला सिवनी (म.प्र.)
- 5. संभागीय वन अधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)

- आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
- 7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
- 8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
- 9. जिला खनिज अधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)
- 10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक) प्रभारी अधिकारी